प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.12.2024

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा रात्रि के समय मानक से तेज ध्वनि में डीजे बजाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

दिनांक 19.12.2024 को वादिया श्रीमती प्रतिभा की तहरीर पर रात्रि में मानक से अधिक ध्वनि में डीजे बजाने की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचना के दौरान पाया गया कि अभियुक्त द्वारा निर्धारित समय से अधिक समय तक एवं मानक से तेज ध्वनि में डीजे बजाया जाता था जिससे मौहल्ले के बुजुर्ग व्यक्तियों एवं पढ़ाई करने वाले विद्यार्थीयों को काफी परेशानी होती थी। आज दिनांक 20.12.2024 को डीजे बजाने वाले अभियुक्त प्रदीप पुत्र राजेन्द्र उपाध्याय निवासी एच 114 सैक्टर – 9 थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष को डीजे के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया तथा डीजे के उपकरण को सीज कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त

प्रदीप पुत्र राजेन्द्र उपाध्याय निवासी एच 114 सैक्टर – 9 थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि साहब मुझ रात्रि में समय का पता नही चला इसीलिय में मेरे द्वारा तेज ध्वनि में डीजे बजा रखा था।

बरामदगी का विवरणः-

02 बड़े डीजे के स्पीकर , 01 छोटा डीजे स्पीकर , 01 एम्पलीफायर ,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी सतपाल पुत्र पप्पू पाल निवासी गांव मन्डौला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के छोटे भाई दीपक पाल को रोहित त्यागी पुत्र मनोज त्यागी, विवेक त्यागी पुत्र योगेश त्यागी, गुड्डू त्यागी पुत्र अभय राज निवासीगण ग्राम मण्डौला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद व एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात ने जान से मारने की नियत से मारा पीटा, जिससे दीपक पाल को काफी गंभीर चोटे आयी, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर दिनांक 14.10.2024 को अभियोग धारा-115(2)/109 बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 20.12.2024 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गुड्डू त्यागी उर्फ उत्कर्ष पुत्र अभयराज निवासी ग्राम मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष को चौकी क्षेत्र मण्डौला से गिरफ्तार किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त गुड्डू त्यागी उर्फ उत्कर्ष ने बताया कि मेरा पहले से दीपक पाल के साथ विवाद चला आ रहा है, मेरे साथ पूर्व में दीपक पाल ने मारपीट की थी, जिसका बदला लेने के लिए दिनांक 14.10.2024 को जब दीपक पाल अपनी मौसी के घर के सामने मण्डौला में बगीचे में बैठा था तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दीपक पाल को मारा पीटा था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त –

गुड्डू त्यागी उर्फ उत्कर्ष पुत्र अभयराज निवासी ग्राम मण्डोला थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद, उम्र 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा छिनैती की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से छीना गया हैंड बैग व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 07.12.2024 को थाना मोदीनगर पर आवेदिका द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिया गया कि मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदिका के हाथ से हैंड बैग झपट कर ले जाना जिसमें आवेदिका का मोबाइल व 1000/- रुपये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण के लिए 02 टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 20.12.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर तिबडा बम्बा के पास से उपरोक्त घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त तुषार पुत्र भूपेन्द्र उर्फ बन्टी निवासी ग्राम लतीफपुर तिबडा थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार किया व 01 बाल अपचारी किशोर को अभिरक्षा में लिया गया। इनके कब्जे से छीना गया हैंड बैग व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त तुषार व बाल अपचारी किशोर ने पूछने पर बताया कि साहब हमारे खाने-पीने की चीजों के कारण दुकानदार का हमारे पर काफी उधार हो गया था तथा परिवार वालों ने हमे उधार चुकाने के लिए पैसा नहीं दिया। जिस कारण हमने एक महिला के हाथ से बैग छीन लिया था उसमें रखे रुपयों को हमने बराबर-बराबर हिस्सों में बांट कर खर्च कर लिया तथा पकडे जाने के डर से मोबाइल फोन का सिम निकालकर तोड़कर झाडियों में बम्बे की तरफ फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

1. तुषार पुत्र भूपेन्द्र उर्फ बन्टी निवासी ग्राम लतीफपुर तिबडा थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष
2. एक बाल अपचारी किशोर को अभिरक्षा में लिया गया।

बरामदगी का विवरण

छीना गया हैंड बैग, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 20-12-24 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान हिन्डन मैट्रो स्टेशन नन्दग्राम के पास से मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त विकास पुत्र राजवीर सिंह निवासी म0नं0 33 गली नं0 5 चित्रांश कृष्ण कुंज छपरौला थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर मूल निवासी म0नं0 205बी गली नं0 1 हरवंश नगर थाना नन्दग्राम उम्र करीब 23 वर्ष चोरी की मोटरसाइकिल

स्पलेन्डर रजि नं0 UP 14 ED0489 सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता--
विकास पुत्र राजवीर सिंह हाल निवासी म0न0-33 गली नं0-5 चित्रांश नगर कृष्णा कुंज छपरौला थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर, मुल पता- म0नं0 205 बी, गली नं0 1 हरवंश नगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र-23 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
अभि0 विकास उपरोक्त के विरुद्ध थाना सिहानी गेट पर चोरी के 05, लूट के 04, आर्म्स एक्ट का 01, नन्दग्राम पर चोरी के 05, मधुबन बापूधाम पर आबकारी अधि0 का 01, कुल 16 अभियोग कमि0 गाजियाबाद में पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभियुक्त विकास उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशे का आदि हूँ, अपना नशे का शौक पूरा करने के लिए चोरी, लूट जैसे अपराध कारित करता हूँ।

बरामदगी का विवरण—
चोरी की मो0सा0 स्पलेन्डर रजि नं0 UP 14 ED0489
गिरफ्तारी करने वाली टीम--
थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा विदेश (अजरबैजान) में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करके फर्जी वीजा व टिकट तैयार करके पैसे हड़प लेने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से 22 पासपोर्ट, 02 फर्जी प्रमाण पत्र, 01 लैपटॉप मय चार्जर, 04 मोबाइल फोन व 01 स्कूटी बरामद।

दिनांक 19.12.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादी श्री किशन कुमार पुत्र सुधीर कुमार सिंह निवासी रामप्रस्थ ग्रीन सै0-6 वैशाली गाजियाबाद की लिखित तहरीर पर अभियुक्तगण द्वारा वादी को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर फर्जी वीजा व टिकट देना व 2,95000/- रु ऑनलाइन ट्रांसफर करा लेने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 20.12.2024 तो थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज की सहायता से उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण 1. मनीष कुमार गोंड उर्फ गणेश पुत्र अलगू गोंड निवासी सी0एन0 634 गली नं0 07, कांगर मौहल्ला, तुगलकाबाद बदरपुर दिल्ली मूल निवासी ग्राम- मोरवन, पोस्ट व थाना- रामकौला जनपद कुशीनगर (उ0प्र0) उम्र करीब 34 वर्ष, 2. शाहरूख खान पुत्र मौहम्मद इस्तियाक निवासी ग्राम मझनाई थाना इनायतनगर, अयोध्या व हाल निवासी ऑफिस नं0 1706, टावर नं0 S3 क्लाउड 9 सैक्टर 01, वैशाली, गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को चेकिंग के दौरान मैक्स ह़ॉस्पिटल रोड़ सै0-1 वैशाली से गिरफ्तार किया गया। थाना कौशाम्बी पर पूर्व में पंजीकृत अन्तर्गत धारा 318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस में गिरफ्तार कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-
गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तगण उपरोक्त ने वैशाली सै0-1 क्लाउड-9 टावर में जय अम्बे इन्टर प्राईसिस नाम से अपना ऑफिस खोल रखा था जिसमें अभियुक्तगण द्वारा व्यक्तियों को विदेश (अजरबेजान, दुबई, कुवैत, मालदीव आदि) में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे पासपोर्ट जमा करके उनसे रुपये लेकर जमा कर लेते थे। यदि कोई व्यक्ति अपने रुपये या वीजा की मांग करता था, तो उसे फर्जी टिकट व वीजा तैयार करके दे देते थे। अभियुक्त मनीष कुमार गोड़ से पूछताछ करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त मई 2022 से अप्रैल 2023 वर्ष तक साउथ अफ्रीका में डायनामिक कंस्ट्रक्शन कम्पनी में नौकरी करता था। विदेश से लोटने के बाद यह काम सीधे साधे व्यक्तियों को नौकरी दिलाने के नाम पर अधिक रुपये लेता था। अभियुक्त ने अपने साथी शाहरुख को भी इसी कार्य में लगा दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. मनीष कुमार गोंड उर्फ गणेश पुत्र अलगू गोंड निवासी सी0एन0 634 गली नं0 07, कांगर मौहल्ला, तुगलकाबाद बदरपुर दिल्ली मूल निवासी ग्राम- मोरवन, पोस्ट व थाना- रामकौला जनपद कुशीनगर (उ0प्र0) उम्र करीब 34 वर्ष।
2. शाहरूख खान पुत्र मौहम्मद इस्तियाक निवासी ग्राम मझनाई थाना इनायतनगर, अयोध्या व हाल निवासी आफिस नं0 1706, टावर नं0 S3 क्लाउड 9 सैक्टर 01, वैशाली, गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- कब्जे से 22 पासपोर्ट, 02 फर्जी प्रमाण पत्र, 01 लैपटाप मय चार्जर, 04 मोबाइल फोन व 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

ग्रामीण जोन पुलिस द्वारा अभ्यस्त अपराधी गुलजार पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम निगरावटी थाना मसूरी गाजियाबाद की जनपद गाजियाबाद मे स्थित अवैध रुप से अर्जित की गयी लगभग 02 करोड 33 लाख की अचल/चल सम्पत्ति गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क की गयी।

अभ्यस्त अपराधी गुलजार पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम निगरावटी थाना मसूरी गाजियाबाद जिसके विरुद्ध वर्ष 2011 से वर्ष 2024 के बीच अवैध हथियार रखना, फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी करना, मारपीट, बल्वा/सरकारी कार्य मे बाधा डालना, गैंगस्टर अधिनियम के कुल 08 मुकदमें पंजीकृत है के विरुद्ध दिनांक 20.12.2024 को थाना मसूरी पर पंजीकृत गैंगस्टर अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट के क्रम मे आदेश न्यायालय पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद वाद संख्या 09/24 सरकार बनाम गुलजार पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम निगरावटी थाना मसूरी गा0बाद दिनांक 18.12.2024 आदेश धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियुक्त गुलजार पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम निगरावटी थाना मसूरी गाजियाबाद की सम्पत्ति खसरा नं0 146क व 146 ख 273 वर्ग मीटर ग्राम निडौरी परगना डासना गा0बाद कीमत करीब 1 करोड रुपये , खसरा नं0 372 मि0 44 वर्ग मीटर आवासीय खाली प्लाट न0 11 ग्राम मसूरी परगना डासना गा0बाद कीमत करीब 25 लाख रुपये तथा खसरा नं0 372 मि0 111.93 वर्ग मीटर आवासीय खाली प्लाट नं0 26 ग्राम मसूरी गा0बाद कीमत करीब 90 लाख रुपये चल सम्पत्ति स्विफ्ट एलएक्सआई कार नं0 UP37 R 7536 कीमत करीब 9 लाख रुपये, मोटर साईकिल स्पलेंडर प्लस न0 UP14GE 8134 कीमत करीब 1 लाख रुपये तथा ट्रैक्टर लाल रंग कीमत करीब 8 लाख रुपये को कुर्क किया गया है। जिनकी कुल कीमत लगभग 2 करोड 33 लाख रुपये है।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरणः-

- खसरा न0 146क व 146 ख 273 वर्ग मीटर ग्राम निडौरी परगना डासना गा0बाद कीमत करीब 1 करोड रुपये
- खसरा न0 372 मि0 44 वर्ग मीटर आवासीय खाली प्लाट न0 11 ग्राम मसूरी परगना डासना गा0बाद कीमत करीब 25 लाख रुपये
- खसरा न0 372 मि0 111.93 वर्ग मीटर आवासीय खाली प्लाट न0 26 ग्राम मसूरी गा0बाद कीमत करीब 90 लाख रुपये
- स्विफ्ट एलएक्सआई कार न0 UP37 R 7536 कीमत करीब 9 लाख रुपये
- मोटर साईकिल स्पलेंडर प्लस न0 UP14GE 8134 कीमत करीब 1 लाख रुपये
- ट्रैक्टर लाल रंग कीमत करीब 8 लाख रुपये